15.11.16 सायल की ओर से APP I उपस्थित। गैर सायल अनुपस्थित। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा थानाधिकारी को गैर सायल की तलाश कर न्यायालय में पेश करने हेतु अ.शा. पत्र से निर्देश दिये गये। अतः इंतजार होकर पत्रावली तारीख 10.01.2017 को पेश हो।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाडमेर

10.1.17 सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम उपस्थित। गैर सायल को गिरफतार कर पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल को दिनांक 27.9.2010, 10.12.2010, 10.2.2011, 10.3.2011 को नोटिस जारी करने एवं दिनांक 30.5.2011, 16.8.2011, 30.9.2011, 9.11.2011, 20.12.2011, 24.01.2012, 27.2.2012, 20.3.2012, 16.5.2012 23.8.2012, 18.9.2012, 17.10.2012, 22.7.2014, 29.4.2015, 24.6.2015, 17.8.2015 व 1.9.2015 से गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने के उपरान्त भी गिरफतार कर न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को पत्र संख्या 1481 दिनांक 16.11.2010, 333 दिनांक 28.2.2012, 1918 दिनांक 25.5.2015, 249 दिनांक 1.9.2015, 320 दिनांक 29.6.2016, अ.शा. पत्र संख्या 446 दिनांक 30.8.2016 एवं अ.शा. पत्र संख्या 540 दिनांक 28.9.2016 से लगातार लिखे जाने के उपरान्त भी गैर सायल को न्यायालय में पेश नहीं किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस एवं गिरफतारी वारन्ट पर तामिल कुनन्दा की रिपोर्ट में 4–5 वर्षो से बालोतरा से बाहर रहना बताया गया। राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में में गैर सायल को तड़ीपार करने का प्रावधान है। गैर सायल 4–5 वर्षो से बाहर रहने एवं पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश नहीं करने के फलस्वरूप जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा गैर सायल के विरूद्व उक्त अधिनियम में पेश उक्त आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाडमेर